क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	टिप्[illegible]
	8/11/24	पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज [illegible] हैं। अतः पत्रावली [illegible] अनुसार दिनांक 29/11/24 को पेश हो।	
	29/11/24	पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज कार्य में [illegible] हैं अतः [illegible] अनुसार दिनांक 8/1/25 [illegible] पेश हो।	
	8/1/25	पत्रावली पेश हुई। पी.ओ. साहब अन्य राज कार्य में [illegible] अतः [illegible] अनुसार दिनांक 5/2/25 [illegible] पेश हो।	
	5/2/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार उपस्थित [illegible] तामील हेतु तलबाना पेश करे अप्रार्थीगण की तामील हेतु तलबाना पेश करे। पत्रावली दि० 6/3/25 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	6/3/25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार सरकार [illegible] प्रार्थी व पैरोकार सरकार ने अनुपस्थित अप्रार्थीगण की तामील हेतु तलबाना पेश नहीं किये हैं। प्रार्थी को अप्रार्थीगण की तामील हेतु रजिस्टर्ड नोटिस, तलबाना पेश करने हेतु दि० 20/4/22 को आदेशित किया गया लेकिन प्रार्थी ने अप्रार्थीगण की तामील हेतु तलबाना आदिनांक तक पेश नहीं किये हैं अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 RTA को अदम तामील (Non-compliance) में खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (सुनाया गया) उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

न्यायालय उपजिला कलक्टर जयपुर (द्वितीय) जयपुर

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र संख्या 45/2022

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर,जयपुर। प्रार्थी......

बनाम

1. चरण सिंह पुत्र अमर सिंह जाति जाट निवासी सापुर मार्टी बाग नई दिल्ली।
2. सचिव,जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर। अप्रार्थीगण...

विषय :- रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम [illegible]

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

1. यहकि ग्राम दुर्गापुरा तहसील सांगानेर,जिला जयपुर की खतौनी [illegible] 2016-2034 में खाता संख्या 45 खसरा नंबर 290 रकबा 12 बीघा 14 बिस[illegible] माफीदार खुदकाश्त के नाम दर्ज है।
2. यहकि नामान्तकरण संख्या 1 दिनांक–26.08.1960 के द्वारा [illegible] जाति कायस्थ सा.जयपुर खुद [illegible] माफीदार के बजाय हीरा,छोटा पि.[illegible] मीणा के नाम दुरुस्ती इन्द्राज खातेदारी हस्ब दफा 19 आर.टी एक्ट के तहत ना[illegible] स्वीकार हुआ।
3. यहकि हीरा,छोटा पि.रामचन्द्र कोम मीणा द्वारा उक्त खसरा नंबर 29[illegible] बीघा 14 बिस्वा का जरिये विक्रय पत्र बेचान दिनांक–17.09.1962 [illegible] नामान्तकरण संख्या 16 दिनांक–12.04.1963 से चरणसिंह पुत्र अमर सिं[illegible] सा.नई दिल्ली के नाम दर्ज स्वीकार हुई।
4. यहकि भू.प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान भू.प्रबन्ध विभाग द्वारा खतौनी [illegible] जुलाई 1989 से 30 जून 2009 के अनुसार खसरा नंबर 290 के [illegible] तादाद 503 किता 6 रकबा 3.09 हैक्टयर चरण सिंह पुत्र अमर [illegible] निवासी–सापुर मार्टी बाग नई दिल्ली खातेदार के नाम बिना किसी [illegible] गई।